प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं.** ....166/2023......दिनांक.........22/6/2023...
2. (I) **अधिनियमः-** धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (III) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** .... (अ)
3. **रोजनामचा आम रपट संख्या** ...473... **समय** .....5.00 PM.....
   (ब) **अपराध घटने का दिन- मंगलवार, दिनांक 27.06.2023 समय 3.41 पीएम**
   (स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .... पीएम**
4. **सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित**
5. **घटनास्थल :-** आईटी सेन्टर, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पूर्व दिशा करीब 35 किमी
   (ब) **बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................**
   (स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
   पुलिस थाना ....**जिला** ....

6.(1) **परिवादी /सूचनाकर्ता :-**
   (अ) नाम- श्री छोटूराम जाति माली
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री घासीराम,,
   (स) जन्म तिथी- उम्र- 37 वर्ष
   (द) **राष्ट्रीयता - भारतीय**
   (य) **पासपोर्ट संख्या** ....**जारी होने की तिथि**
   जारी होने की जगह ....
   (र) **व्यवसाय - व्यवसाय**
   (ल) पता- निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर .

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -**

1. श्री चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 03, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**
9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...**
   ....
10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 5,000 रूपये लिप्त सम्पति**
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-**

दिनांक 26-06-2023 को परिवादी श्री छोटूराम पुत्र श्री घासीराम, उम्र 37 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ने ब्यूरो में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेव मे श्रीमान् अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरधोक ब्यूरो जयपूर ग्रामीन चयपूर विषय कानूनी कारवाही करने बाबत महोदय निवेदन है कि मै छोटूराम छोटू राम सैनी निवासी रामसपुर पालावाला का हूं मैने भाई के साथ मिलकर गाव पचायत रामसर पालावाला मे अपने पट्टे के लिये अवेदन किया था जो दिनांक 11-11-2021 को किया था रसीद सक्रेटी बनवारी ने काटी थी जिसे लगभग ढेड वर्ष हो चूके है लेकिन अज तक मकान का पटा नही मिला है जब कि मेरे पडोसी को साल बर पहले पटटा दिया मेरे दारा बार बार मेरे पट्टे के लिये जाते सेक्रेटी बनवारी ओर ममर चोथू राम दोनो मुझसे पट्टे बनाने के लिए

दस हजार रूपये रिश्वत के माग रहे है जो मे नही देना चाहता हूँ ओर दोनो को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ अतः नियमनुसार कार्यवाही करने का श्रम करावे भवदीय एसडी/- छोटराम घासीराम सैनी रामसर पालावाला तेसील बस्सी 9829237428 26-6-2023" परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दिनांक 26-6-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के नाम पर 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया।

दिनांक 27-6-2023 को परिवादी श्री छोटूराम पुत्र श्री घासीराम, उम्र 37 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर उपस्थित कार्यालय आने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री छोटूराम ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये पेश किए। उक्त नोटो पर श्रीमती सुनीता महिला कानि0 नं0 43 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर रिश्वती राशि परिवादी की पहनी हुई जिन्स पेट के सामने की दाहिनी जेब मे रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई।

समय करीब 1,50 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाह श्री कालू सिंह एवं श्री विष्णु मीना मय परिवादी श्री छोटूराम मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ग्राम रामसर पालावाला के आईटी सेन्टर के आस पास पहूंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय 03.41 पीएम पर परिवादी श्री छोटूराम पुत्र श्री घासीराम, जाति माली निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ने आईटी सेन्टर, ग्राम रामसर पालावाला के बाहर से अपने सिर पर हाथ फेर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय आस पास खड़े स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए परिवादी श्री छोटूराम के पास पहूंचा। परिवादी को पूर्व मे सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर आईटी सेन्टर, ग्राम रामसर पालावाला पर पहूंचा जहां पर मंहगाई राहत केम्प चल रहा था जहां पर ग्राम वासियो की भीड़ लगी हुई थी जहां मैने चौथू वार्ड पंच को तलाश किया तो चौथू वार्ड पंच मुझे नही मिला इस पर मैने अपने मोबाईल फोन नं0 9829237428 से श्री चौथू वार्ड पंच के मोबाईल फोन नं0 6350676917 पर फोन किया तो उसने कहा कि घर पर ही आजा इस पर मेने कहा कि मै आईटी सेन्टर पर ही आ गया हूं इस पर उसने कहा कि मै वही पर आ रहा हूं थोड़ी देर बाद चौथू वार्ड पंच आईटी सेन्टर पर ही आ गया ओर मेरे पास आकर सभा भवन मे बैठ गया और मेरे से बातचीत करने लग गया। जब मैने मेरे पट्टे के लिए कहा तो उसने कहा कि थोड़ी देर मे दे देगे आपने सेकेट्री से बात की थी क्या इस पर मैने कहा कि मेने तो नही की तब चौथू वार्ड पंच ने कहा कि किसी दुसरे व्यक्ति के पट्टे का मामला चल रहा है वह शामलात जमीन मे पट्टे लेना चाह रहा है आप थोड़ी देर घूम लो तत्पश्चात् मै आईटी सीन्टर के बाहर आकर बाहर लगे हुये मेहगाई राहत केम्प के टेंटो मे घुमने लग गया थोड़ी देर बाद सेकेट्री केम्प मे से आईटी सेन्टर मे अपनी कुर्सी पर आया ओर सेकेट्री ओर चौथू पंच आपस मे बात करने लग गये ओर मै बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पंच ने मेरी को ईशारा कर बुलाया ओर ईशारा करके बाहर गेट की तरफ जाने लगा तो मै भी उसके ईशारेनुसार उसके साथ साथ चलता रहा और वार्ड पंच ने मुझे आईटी सेन्टर की बाउण्ड्री के बाहर साईड मे ले गया और अपनी जेब से पट्टा निकाल कर मुझे दिया और पट्टे मे अंकित लम्बाई चौड़ाई बताने लग गया इस दौरान मैने कहा कि पैसे थोड़ी लगेगे तो पंच ने कहा कि पैसे तो लगेगे ही तब मैने मेरी जेब से 5000 रूपये निकाल कर देना चाहा तो वार्ड पंच श्री चौथूराम ने बोला कि कितने है तो मैने कहा पाच तो वार्ड पंच ने कहा इतने ही थोड़ी ही लगेगे ओर लगेगे तो मैने कहा कि मेरे पास तो इतने ही है तो उसने मेरे से पांच हजार रूपये रिश्वत के अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब मे रख लिए है। इसके बाद मैने आईटी सेन्टर के गेट से बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था। इस पर परिवादी को साथ लेते हुए आईटी सेन्टर के मेनगेट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसको देखकर परिवादी श्री छोटूराम ने ईशारा कर

बताया कि यही चौथूराम वार्ड पंच है जिसने अभी-अभी कुछ समय पहले मेरे से रिश्वत के 5000/- रूपये प्राप्त किए है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 03, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर होना बताया। श्री चौथूराम वार्ड पंच से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 5,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री चौथूराम वार्ड पंच ने बताया ये तो मैने तो मोटर साईकिल की किश्त के लिए श्री छोटूराम से उधार के लिए है जो मेरी जेब मे रखे है। इस पर श्री चौथूराम वार्ड पंच की बातो का परिवादी ने खण्डन करते हुए बताया कि वार्ड पंच जी झूंठ बोल रहे है जब मै कल दिनांक 26-6-2023 को इसके साथ आईटी सेन्टर मे आया था तथा सेकेट्री ने मेरे साईन पट्टे पर करवाये थे ओर कहा था कि आपका पट्टा ले जाना बाहर आकर इन्होने मुझसे कहा था कि तू तो पांच हजार रूपये दे देना तेरा पट्टा मै ले आउंगा ओर आज इनकी मांग के अनुसरण में इनको रिश्वत के 5,000/- रूपये दिये थे जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब मे रख लिए है जो मेरी पेंट की जेब मे रखे है।

तत्पश्चात् आईटी सेन्टर ग्राम रामसर पालावाला मे से पानी की बोतल मंगवाई जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच के बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु मीना से लिवाई गई तो पेंट की जेब मे से एक छोटी नोटो की गड्डी मिली जिसको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये मिले है। जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए जिनको स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु मीना के पास सुरक्षित रखवाए गए।

दर्ज रहे कि परिवादी श्री छोटूराम ने बताया था कि वार्ड पंच श्री चौथूराम गुर्जर द्वारा उसको आवासीय पट्टा आज ही दिया है और जब मै वार्ड पंच से मिला था तब वार्ड पंच एवं सेकैट्री साहब श्री बनवारी जी आपस मे अलग जाकर बातचीत कर रहे थे। चूंकि आवासीय पट्टा देने के लिए वार्ड पंच अधिकृत नही है इस पर आईटी सेन्टर में उपस्थित सेकेट्री ग्राम पंचायत रामसर पालावाला को तलब कर उसको मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बनवारी लाल कुमावत पुत्र श्री बुद्वीप्रकाश कुमावत, जाति कुमावत, उम्र 43 वर्ष निवासी कुम्हारो का मोहल्ला, बस्सी, पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर होना बताया। जिसको मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा की गई शिकायत में आप द्वारा एवं वार्ड पंच श्री चौथूराम द्वारा परिवादी को आवासी पट्टा देने के बारे मे पूछा तो श्री बनवारी लाल कुमावत ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मैने इसे पूर्व मे नोटिस दे रखे है कि आप अपने पट्टे हेतु शुल्क जमा करने के नोटिस दे रखे है इन्होने शुल्क जमा नही कराया इस कारण इनका पट्टा जारी नही हो सका। यह कल दिनांक 26-6-2023 को मिला था परन्तु मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की थी। इनके द्वारा नजराना शुल्क 200/- रूपये जमा नही कराने के कारण ही इनका पट्टा जारी नही हो सका और यह भी बताया कि परिवादी ने इसी

पट्टे बाबत मेरी पंचायत समिति मे शिकायत की थी जिसका भी जवाब मैने दिया था कि नजराना शुल्क जमा नही होने के कारण पट्टा जारी नही किया जा सका है। आज मुझे वार्ड पंच श्री चौथूराम ने श्री छोटूराम के आवासीय पट्टे के नजराना शुल्क 200/- रूपये दिए थे जिसकी मैने रसीद काटकर श्री छोटूराम का पट्टा दे दिया था। मैने नियमानुसार ही अपना कार्य किया है और ना ही मैने वार्ड पंच श्री चौथूराम गुर्जर को रिश्वती राशि देने हेतु कहा था।

तत्पश्चात् श्री बनवारी लाल कुमावत ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी के पट्टे से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु कहा तो श्री बनवारी लाल कुमावत ने अपनी टेबल पर रखी परिवादी के आवासीय पट्टे की पत्रावली पेश की। जिसको अपने पास सुरक्षित रखा गया।

मौके पर आईटी सेन्टर में मंहगाई राहत कैम्प का आयोजन होने के कारण काफी भीड़ भाड़ है ऐसी स्थिति में शेष कार्यवाही पुलिस थाना कानोता मे करने का निर्णय लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच एवं श्री बनवारी लाल कुमावत ग्राम विकास अधिकारी को एवं धोवनो के सेम्पलो एवं सामान सरकारी को साथ लेते हुए सरकारी वाहनो से आईटी सेन्टर, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला से रवाना होकर थाना कानोता पर पहूंचा परन्तु थाने पर लाईट नही आने के कारण ब्यूरो कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही करने निर्णय लेते हुए थाना कानोता से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय मे पहूंचकर अग्रिम लिखापढ़ी आरंभ की गई।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु मीना के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि 5,000/- प्राप्त कर उनको पुनः स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000-/ रूपये मिले है जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त 5,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी श्री चौथूराम वार्ड पंच ने परिवादी से रिश्वती राशि 5,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब मे रखे है ऐसी स्थिति मे आरोपी के पेंट की साईड की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में बाजार से लोवर मंगवाया जाकर श्री चौथूराम के बदन पर पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर लॉवर पहनने को दिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे ब्यूरो कार्यालय में रख प्लास्टिक के जग मे भरे साफ पानी से उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे जग से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् श्री चौथूराम वार्ड पंच के बदन से उतरवाए गई पेंट की साईड की दाहिनी जेब मे उलटवाकर बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की साईड की दाहिनी जेब को सुखवाकर जेकेट को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली जो ग्राम विकास अधिकारी श्री बनवारी लाल कुमावत द्वारा सुपुर्द की गई थी कि कार्यालय में फोटो प्रति करवाकर ग्राम विकास अधिकारी श्री बनवारी लाल कुमावत से प्रमाणित करवाकर जरिये फर्द जप्ती पृथक से प्राप्त की गई।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। अतः रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता की सीडीयां व फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

परिवादी श्री छोटूराम को वार्ड पंच द्वारा सुपुर्द किया गया आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त कर उसकी फोटो प्रति करवाकर मूल पट्टा परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत कर फोटो प्रति पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 03, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ने परिवादी श्री छोटूराम पुत्र श्री घासीराम, जाति माली निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के द्वारा स्वयं के भाई के साथ मिलकर ग्राम पंचायत रामसर पालावाला मे वर्ष 2021 मे आवासीय पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका आवासीय पट्टा देने की ऐवज में दिनांक 26-6-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत के 5,000/- रूपये ग्राम विकास अधिकारी के नाम पर मांगना एवं मांग के अनुसरण में आज दिनांक 27-6-2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री चौथूराम गुर्जर वार्ड पंच द्वारा परिवादी से रिश्वत के 5,000 रूपये अपने हाथ मे प्राप्त कर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी साईड की जेब मे रख ना व रिश्वती राशि 5,000/- रूपये पेंट की साईड की दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 03, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

दर्ज रहे कि श्री बनवारी लाल कुमावत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर से उक्त प्रकरण मे लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। अब तक के अनुसंधान एवं रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता से भी श्री बनवारी लाल कुमावत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की उक्त प्रकरण संलिप्तता नही पाई गई है।

अतः आरोपी श्री चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 03, ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चौथूराम गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर, वार्ड पंच वार्ड नं. 03, ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 166/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1245-49 दिनांक 28.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जयपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।